फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार** **बनाम** **धर्मवीर बंजारा**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर 15 / 107 / **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.05.2022	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी धर्मवीर बंजारा पुत्र श्री आईदान, निवासी ढाणी जमालका घटवाडी, जमुआ रामगढ़, जिला जयपुर हालवासी महलडा बेराबास थाना नारायणपुर जिला अलवर द्वारा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन संख्या ट्रक रजि0 सं0 आर.जे. 14 जी.एफ. 0463 धारा 3, 5, 6, 8 आर.बी.एक्ट के तहत पुलिस थाना खैरथल द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना खैरथल से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी खैरथल द्वारा निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा ट्रक रजि0 सं0 आर.जे. 14 जी.एफ. 0463 के संबंध में वाहन स्वामी के जानकार अन्य आरोपियान व रिस्तेदार जो वक्त घटना से फरार चल रहें है, जिनकी गिरफ्तारी कर प्रकरण में घटना तस्दीक करना व वाहन चालक से अनुसंधान करना शेष है। अगर जप्तशुदा वाहन को छोड़ा जाता है तो प्रकरण के अनुसंधान में विपरीत असर पडेगा। अतः जप्तशुदा वाहन को सुपुर्द नहीं करने की अनुसंषा की जाती है। पत्रावली का अवलोकन किया व थानाधिकारी खैरथल की रिपोर्ट पर मनन किया। चूंकि प्रकरण में अनुसंधान शेष है एवं वाहन स्वामी के अन्य आरोपियान अन्य रिश्तेदार घटना स्थल से फरार है तथा थानाधिकारी द्वारा जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर नहीं देने की अनुसंषा की गई है। अतः थानाधिकारी कि अनुंसशा पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नहीं समझते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। **जिला कलक्टर** **अलवर**	